45

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा शाखा रीवा (म0प्र0)

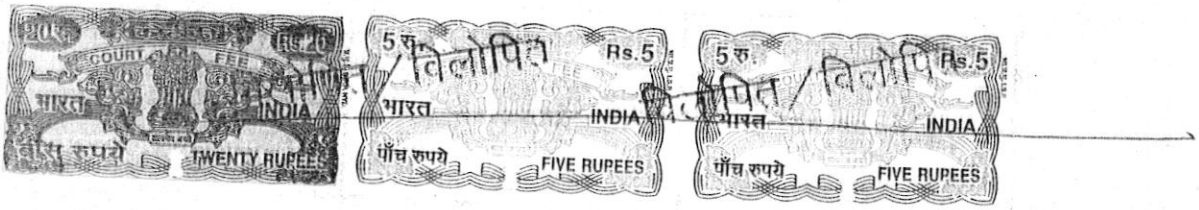

COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित / विलोपित

R. 5197-II/17

1— रामयश तनय स्व0 हनुमान प्रसाद ब्रा0 उम्र 80 वर्ष, निवासी ग्राम घुरेहटा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

2— रामनिहोर तनय हनुमान प्रसाद उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम घुरेहटा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

3— अशोक कुमार तनय रामभुवन उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम घुरेहटा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0 ————अपीलार्थीगण

अधि0 श्री सुरेश कुमार तिवारी द्वारा पेश 09-5-17

बनाम

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1— नूर मोहम्मद तनय इब्राहीम मुसलमान साकिन घुरेहटा (मृत)

2— नजीर मोहम्मद तनय नूर मोहम्मद (मृत)

3— अमीर मोहम्मद तनय नूर मोहम्मद (मृत)

4— नईम तनय सुल्तान मोहम्मद साकिन घुरेहटा,

5— रहीश तनय सुल्तान मोहम्मद साकिन घुरेहटा,

6— मुस्ताक मोहम्मद तनय अमीर मोहम्मद साकिन घुरेहटा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

7— म0प्र0 शासन ————रेस्पाडेण्टगण

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा प्रकरण क0—955 / अपील / 2014—15 आदेश दिनांक 11.04.2017 उन्मान प्रकरण रामयश वगैरह बनाम नूर मोहम्मद वगैरह

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959 ई0

RC Dubey

मान्यवर्

अपील के आधार निम्नलिखित हैं :–

1– यहकि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि व प्रकिया के विपरीत होने से स्थिज्ञर रखे जाने योग्य नही है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही किया कि रेस्पाडेण्ट क0–01 (मृतक) ने बतौर भूमिस्वामी अपीलार्थी क0–01 व 02 के पिता हनुमान प्रसाद को भूमि बिकी किया था, और विकय करके कब्जा दखल अपीलार्थी क0–01 व 02 के पिता को सौंप दिया था, प्रश्नाधीन भूमियो को अपीलार्थी के पिता ने म0प्र0भू0राजस्व संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व कय किया था, जिससे म0प्र0 भू0राजस्व संहिता के प्रभावशील होने दिनांक 02.10. 1959 के पूर्व से काबिज होने के कारण म0प्र0भू0 राजस्व संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत भूमिस्वामी हक अर्जित कर चुका है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

3– यह कि मूल पट्टेदार अनावेदक क0–01 (मृत) ने कभी भी भूमियॉ म0प्र0 शासन को अन्तरित नही किया था, और जब मूल भूमिस्वामी द्वारा भूमि म0प्र0 शासन को किसी भी रूप में अन्तरित नही की गई है, तब प्रश्नाधीन भूमियो को म0प्र0 शासन इन्द्राज किये जाने और अनावेदक क0–02 के वारिसों को बेदखल किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नही है। प्रश्नाधीन भूमियों पर अपीलार्थीगण काबिज दाखिल हैं, ऐसी स्थिति में अनावेदक क0–02 के वारिसों को बेदखल किये जाने का आदेश कतई उचित नही है, जिससे आदेश अधीनस्थ न्यायालय स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

4– यहकि सभी अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखो के आधार पर अपीलार्थी को हक प्राप्त होने की अवधारणा

R.L. Dubey

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5197–दो/2017 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय बांध की भूमि है जिस पर आवेदक काबिज है। आवेदक द्वारा शासकीय पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित पाये जाने से तहसीलदार ने आवेदक को प्रश्नाधीन शासकीय बांध की भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। दर्शित परिस्थतियों में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	